यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा एवं रमेश कुमार केशरी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.02.2019 से 18.02.2019 तक श्री आर.एस.नेगी-II वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री कलवन्त सिंह एवं श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.06.2017 से 24.06.2017 तक श्री हिमांशु मणि, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - ऊधमसिंह नगर
3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	24,384.73
2016-17	25,159.80
2017-18	30,824.74

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(`)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	-	-	-	-	2,27,83,000	2,19,24,040	-	8,58,960
2016-17	-	-	-	-	2,62,05,000	2,1937,546	-	42,67,454
2017-18	-	-	-	-	3,19,72,000	3,08,61,081	-	11,10,919

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
एसी कोई योजना नहीं है।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -A--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव (आबकारी) - आबकारी आयुक्त - अपर आबकारी आयुक्त - वित्त नियंत्रक - संयुक्त आबकारी आयुक्त - उप आबकारी आयुक्त - सहायक आबकारी आयुक्त - आबकारी निरीक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन** :-

राजस्वः माह 06/17 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्ययः 10/2017, 03/2018 को विस्तृत जांच ( ) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- 2 'अ'

प्रस्तर-1 अनुज्ञापियों द्वारा निश्चित समयावधि में आवश्यक दस्तावेज जमा न किये जाने के बावजूद लाईसेन्स फीस एवं प्रथम प्रतिभूति जब्त न किया जाना ` 57.40 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग संख्याः 260/XXIII/2017/04(01) 2017 देहरादून दिनांक 19.05.2017 के अनुसार, आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु नियम 16(3) में यह प्रावधान किया गया है कि दुकान आवंटित होने के 20 दिन के अन्दर यदि अनुज्ञापी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करता है तो इस दशा में अनुज्ञापी को आवंटित देशी/विदेशी मदिरा दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम The Uttarakhand Excise Settlement of Licenses for Retail Sale (Country/Foreign Liquor/Beer Rule, 2001) से स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा किये गये समस्त राजस्व को सरकार के पक्ष में जब्त कर दिया जायेगा । यदि आवेदक के पास पैन नम्बर नहीं हो, तो उसे दुकान आवंटन के 20 दिन के अन्दर पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे दिया गया लाईसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा ।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, ऊधम सिंह नगर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में जनपद के विदेशी मदिरा, देशी मदिरा एवं मिश्रित मदिरा के अनुज्ञापियों **(संलग्नक विवरण)** के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज निश्चित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये गये थे । इसलिये उपरोक्त लाईसेन्स फीस एवं प्रथम प्रतिभूति ` 57,39,522 सरकार के पक्ष में जब्त कर दुकान का लाईसेन्स निरस्त किया जाना अपेक्षित था । परन्तु विभाग द्वारा लाईसेन्स निरस्त कर लाईसेन्स हेतु जमा धनराशि एवं प्रतिभूति जमा धनराशि को जब्त किये जाने की कार्यवाही नहीं की गयी थी, जिससे ` 57,39,522 राजस्व क्षति से इन्कार नहीं किया जा सकता था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि प्रकरणों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा ।

अतः उक्त राजस्व क्षति ` 57.40 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>संलग्न विवरण- "ख"</u>

क्रम सं0	दुकान का नाम	दुकान आवंटन की तिथि	दस्तावेज का प्रकार	दस्तावेज प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	दस्तावेज जमा करने का वास्तविक दिनांक	दुकान की लाईसेन्स फीस (`)	जमा प्रथम प्रतिभूति (`)
1.	जसपुर तीरगढ़ी (विदेशी मदिरा)	30.05.2017	(1) स्थाई निवास प्रमाणपत्र	20.06.2017	04.07.2017	6,00,000	6,89,724
			(2) हैसियत प्रमाणपत्र	20.06.2017	30.08.2017		
2.	राम जीवनपुर रोड (विदेशी मदिरा)	30.05.2017	(1) चरित्र प्रमाणपत्र	20.06.2017	18.07.2017	6,06,000	6,96,666
			(2) स्थाई निवास प्रमाणपत्र	20.06.2017	17.07.2017		
3.	पतरामपुर रोड (देशी मदिरा)	30.05.2017	(1) हैसियत प्रमाणपत्र	20.06.2017	30.08.2017	7,03,000	8,08,272
			(2) स्थाई निवास प्रमाणपत्र	20.06.2017	04.07.2017		
4.	धरमपुर चौराहा रोड (देशी मदिरा)	30.05.2017	(1) हैसियत प्रमाणपत्र	20.06.2017	07.02.2018	5,36,000	6,16,329
5.	छोई रोड (मिश्रित	30.05.2017	(1) हैसियत	20.06.2017	03.07.2017	2,25,000	2,58,531

	मदिरा)		प्रमाणपत्र				
			(2) स्थाई निवास प्रमाणपत्र	20.06.2017	17.07.2017		
			(3) चरित्र प्रमाण पत्र	20.06.2017	26.06.2017		
					योग	**26,70,000**	**30,69,522**

भाग- 2 'ब'

प्रस्तर-1 आवदेन पत्र की बिक्री पर कर न वसूल किये जाने से राजस्व क्षति `160.30 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-2 के अनुसार व्यौहारी (Dealer) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने कारोबार के प्रयोजन के लिये या उसके सम्बन्ध में नगद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये माल का क्रय, विक्रय का कारोबार करता है । इस अधिनियम की धारा-42 के अनुसार विक्रय कीमत से मूल्यवान प्रतिफल की वह धनराशि अभिप्रेत है जो व्यौहारी द्वारा किसी माल के विक्रय के लिये प्राप्त की गयी है या प्राप्य है । इसी अधिनियम की धारा-4(2)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर की दर 13.5% निर्धारित की गयी है ।

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 260/XXIII/2017/04(01)/2017 देहरादून दिनांक 19.05.2017 के बिन्दु संख्या-5 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में विदेशी मदिरा की दुकान हेतु ` 25,000/-, मिश्रित मदिरा की दुकान हेतु ` 25,000/-, बीयर की दुकान हेतु ` 25,000/- एवं देशी मदिरा हेतु ` 22,000/- आवेदन पत्र शुल्क निर्धारित किया गया, था जो वापसी योग्य (Non Refundable) नहीं था ।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, ऊधम सिंह नगर के वर्ष 2017-18 की दुकानों के व्यवस्थापन पत्रावली की जांच में पाया गया कि देशी, विदेशी, मिश्रित मदिरा, बीयर की दुकानों हेतु कुल 4,839 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ एवं प्रति आवेदन पत्र शुल्क क्रमशः ` 22,000/-, ` 25,000/-, ` 25,000/- तथा ` 25,000/- की दर से कुल आवेदन पत्र शुल्क ` 11,87,43,000/- को लेखाशीर्ष "0039 राज्य उत्पादन शुल्क, 800-अन्य प्राप्तियां, 05-आवेदन शुल्क" मद में जमा किया गया था । उक्त धाराओं के अनुसार आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि ` 11,87,43,000/- पर 13.5% की दर से ` 1,60,30,305/- कर राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित था, जो कि विभाग द्वारा जमा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि आबकारी नीति में वैट लगाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की उक्त धाराओं के अनुसार प्रत्येक बिक्री पर कर आरोपणीय है ।

अतः उक्त राजस्व क्षति ` 160.30 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग- 2 'ब'</u>

प्रस्तर-2 बैंक गारण्टी पर निर्धारित दर से कम स्टाम्प शुल्क लिया जाना ` 1.54 लाख ।

इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 की धारा 33 के अनुसार, विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत पुलिस अधिकारी के सिवाय, सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष, उसके कर्तव्यों के सम्पादन में कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाये, या आ जाये, जो उसकी राय में स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो कि वह विलेख यथाविधि स्टाम्पित नहीं है, उसे जब्त करेगा । पुनः अनुसूची एक खा 12-क के अनुसार बैंक गारण्टी पर स्टाम्प शुल्क प्रत्येक ` 1,000/- या उसके भाग के लिये पांच रूपये परन्तु शुल्क ` 10,000/- से अधिक नहीं होगा ।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, ऊधम सिंह नगर के विदेशी मदिरा, देशी मदिरा एवं मिश्रित मदिरा के फुटकर लाईसेन्सियों की पत्रावली की नमूना लेखापरीक्षा की जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 **(संलग्न विवरण)** के अनुसार लाईसेन्स धारक द्वारा जो बैंक गारण्टी जमा की गयी, उस पर स्टाम्प शुल्क कम अदा किया गया था, जिसके कारण ` 1,53,594 कम स्टाम्प की कमी पायी गयी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि आबकारी अधिनियम में स्टाम्प शुल्क लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 33 के प्रावधानानुसार स्टाम्प शुल्क लिया जाना अनिवार्य है, जिसे विभाग द्वारा नहीं लिये जाने के कारण ` 1,53,594 कम स्टाम्प की कमी पायी गयी ।

अतः ` 1.54 लाख कम स्टाम्प शुल्क लिये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>संलग्न विवरण -"क"</u>

क्रम सं0	दुकान का नाम/दुकान का प्रकार	बैंक गारण्टी की धनराशि (`)	देय स्टाम्प शुल्क (`)	दिया गया स्टाम्प शुल्क (`)	कम अदा किया गया स्टाम्प शुल्क (`)
1.	उकरौली (विदेशी मदिरा)	16,56,000	8,280	100	8,180
2.	कुण्डेश्वरी रोड (विदेशी मदिरा)	8,39,601	4,198	100	4,098
3.	जसपुर तीरगढ़ी (विदेशी मदिरा)	6,89,724	3,448	100	3,348
4.	नादेही (विदेशी मदिरा)	6,91,200	3,456	100	3,356
5.	काशीपुर नं0 1 (विदेशी मदिरा)	41,08,215	10,000	100	9,900
6.	मानपुर रोड (विदेशी मदिरा)	7,45,112	3,725	शून्य	3,725
7.	रजवाड़ा (विदेशी मदिरा)	6,19,887	3,039	शून्य	3,039
8.	सितारगंज (विदेशी मदिरा)	35,00,048	10,000	100	9,900
9.	ट्रांजिट कैम्प (विदेशी मदिरा)	23,00,000	10,000	100	9,900
10.	दिनेशपुर (विदेशी मदिरा)	14,75,172	7,375	100	7,275
11.	शक्ति फार्म (विदेशी मदिरा)	17,00,026	8,500	100	8,400
12.	मझौली गांव (विदेशी मदिरा)	6,63,107	3,315	100	3,215
13.	ऊंचामहुअट रोड (विदेशी मदिरा)	10,12,000	5,060	100	4,960
14.	महुआखेड़ा गंज (देशी मदिरा)	6,83,641	3,418	100	3,318
15.	बाजपुर, निकट रेलवे फाटक (देशी मदिरा)	14,00,000	7,000	100	6,900

16.	काशीपुर नं0 1 (देशी मदिरा)	8,33,151	4,165	100	4,065
17.	जसपुर (देशी मदिरा)	7,19,488	3,597	शून्य	3,597
18.	रजवाड़ा (देशी मदिरा)	6,44,399	3,221	100	3,121
19.	ऊंचामहुवट रोड (देशी मदिरा)	5,52,000	2,760	100	2,660
20.	उकरौली (देशी मदिरा)	5,98,000	2,990	100	2,890
21.	सिद्धार्थ मिल गेट (देशी मदिरा)	8,34,597	4,172	100	4,072
22.	रूद्रपुर नं0 1 (देशी मदिरा)	14,72,000	7,360	100	7,260
23.	जसपुरखुर्द रोड (देशी मदिरा)	8,28,000	4,140	100	4,040
24.	बरा (मिश्रित मदिरा)	7,36,000	3,680	100	3,580
25.	चकरपुर (मिश्रित मदिरा)	8,28,000	4,140	100	4,040
26.	लोहिया हैंड (मिश्रित मदिरा)	6,44,000	3,220	100	3,120
27.	जमौर (मिश्रित मदिरा)	8,28,000	4,140	100	4,040
28.	बिडौरा मझोला (मिश्रित मदिरा)	9,20,000	4,600	100	4,500
29.	झनकईया (मिश्रित मदिरा)	7,50,017	3,750	100	3,650
30.	अलीगंज रोड (मिश्रित मदिरा)	19,09,092	9,545	100	9,445
		योग	**1,56,294**	**2,700**	**1,53,594**

भाग- 2 'ब'

प्रस्तर-3 ` 1.96 लाख दण्डक ब्याज वसूल न किये जाने से राजस्व क्षति ।

1. उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग संख्याः 260/XXIII/2017/04(01) 2017 देहरादून दिनांक 19.05.2017 के अनुसार, आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु नियम 16(7) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि आवेदक अनुज्ञापी के तौर पर चयनित होता है तो उसे मदिरा दुकान के अनुज्ञापन शुल्क तत्काल जमा करना होगा एवं प्रथम प्रतिभूति की धनराशि जो कि एक माह के अभिकर के बराबर हो का 7 दिवस के भीतर एवं द्वितीय प्रतिभूति एक माह के बराबर नगद अथवा बैंक गारण्टी की धनराशि 30 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा । अनुज्ञापियों द्वारा विभिन्न देयों के रूप में प्रस्तुत बैंक ड्राफ्टों का समाशोधन विलम्ब से होने पर अथवा प्रतिभूति (नगद अथवा बैंक गारण्टी) विलम्ब से जमा करने पर विलम्ब की अवधि के लिये भारतीय आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 38-(क) के अनुसार उसको देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर न किया गया हो, वहां 24% प्रतिवर्ष से अनधिक दर पर जैसी विहित की जाये, ब्याज ऐसे आबाकारी राजस्व के देय होने के दिनांक से वास्तविक भुगतान के दिनांक तक देय होगा ।

जिला आबकारी अधिकारी, ऊधम सिंह नगर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान अनुज्ञापियों द्वारा प्रथम प्रतिभूति एवं द्वितीय प्रतिभूति को समय से नहीं जमा किया गया था । **संलग्नक विवरण 1** के अनुसार देय दण्डक ब्याज ` 10,19,882 के सापेक्ष ` 8,46,433 की वसूली की गयी थी । शेष ` 1,73,449 दण्डक ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि धारा 38(क) के अनुसार जब तक कोई उच्च दर विहित न की जाये तब तक ब्याज की दर 18 प्रतिशत रहेगी।
इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा समान आपत्ति पर वसूली की कार्यवाही की जा रही है, का आश्वासन दिया है और उक्त अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि तीन महीने से अधिक विलम्ब होने की स्थिति में 24% की दर से दण्डक ब्याज वसूल किया जायेगा ।

2. आबकारी मैनुअल की धारा-38क के अनुसार आबकारी राजस्व बकाया पर बकाये के साथ ब्याज का प्रावधान है ।

जिला आबकारी अधिकारी, ऊधम सिंह नगर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि होटल रेडिसन ब्लू द्वार वर्ष 2017-18 के पंजीयन फीस ` 10 लाख दिनांक 29.11.2017 को जमा किया गया था तथा विलम्ब शुल्क (` 1,36,620) भी इसी तिथि को जमा किया गया था । मैनुअल में स्पष्ट है कि 3 माह के भीतर जमा न होने पर 24 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जायेगा । उक्त प्रकरण में 243 दिवस (दिनांक 01.04.2017 से 29.11.2017 तक) का जिस पर निम्नवत् ब्याज देय थाः-

ब्याज 24% प्रतिवर्ष = ` 1,59,781/-

वसूल किया ब्याज = ` 1,36,620/-

शेष ` 23,161/-

उक्त ` 23,161/- की दण्डक ब्याज कम वसूल की गयी थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

अतः ` 1.96 लाख कम ब्याज वसूल किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

"संलग्रक विवरण "

1- देशी मदिरा दुकान सिद्धार्थ मिल रोड पर विलंब से प्रथम एवं द्वितीय प्रतिभूति पर देय दण्डक ब्याज

अनुज्ञापन तिथि - 01-06-2017

प्रथम एवं द्वितीय **प्रतिभूति जमा राशि**	जमा करने की तिथि	वास्तविक जमा तिथि	विलम्ब दिवस	विलम्ब दण्डक ब्याज
1,50,000	07-06-17	31-07-17	54	3,994
6,00,000	07-06-17	30-11-17	176	69,436
84,597	07-06-17	11-12-17	187	10,401
8,34,600	30-06-17	13-12-17	166	91,097
योग				1,74,928
जमा विलम्ब दण्डक ब्याज				1,20,112
अवशेष विलम्ब दण्डक ब्याज (i)				**54,816**

2 –देशी मदिरा दुकान काशीपुर नंबर 2 पर विलंब से द्वितीय प्रतिभूति पर देय दण्डक ब्याज

द्वितीय**प्रतिभूति जमा राशि**	जमा करने की तिथि	वास्तविक जमा तिथि	विलम्ब दिवस	विलम्ब दण्डक ब्याज
8,29,713	30-06-17	17-10-17	109	59,466
योग				59,466
जमा विलम्ब दण्डक ब्याज				42,735
अवशेष विलम्ब दण्डक ब्याज (ii)				**16,731**

3 – देशी मदिरा दुकान राम जीवन पुर रोड पर विलंब से द्वितीय प्रतिभूति पर देय दण्डक ब्याज

द्वितीय **प्रतिभूति जमा राशि**	जमा करने की तिथि	वास्तविक जमा तिथि	विलम्ब दिवस	विलम्ब दण्डक ब्याज
7,34,287	30-06-17	22-11-17	145	70,008
योग				70,008
जमा विलम्ब दण्डक ब्याज				48,674
अवशेष विलम्ब दण्डक ब्याज (iii)				**21,334**

4 – देशी मदिरा दुकान बाजपुर निकट रेलवे फाटक पर विलंब से द्वितीय प्रतिभूति पर देय दण्डक ब्याज

प्रथम एवं द्वितीय **प्रतिभूति जमा राशि**	जमा करने की तिथि	वास्तविक जमा तिथि	विलम्ब दिवस	विलम्ब दण्डक ब्याज
13,69,595	07-06-17	10-08-17	64	43,226
81,595	30-06-17	13-10-17	105	5,633
योग				48,859
जमा विलम्ब दण्डक ब्याज				29416
अवशेष विलम्ब दण्डक ब्याज (iv)				**19,443**

5–विदेशी मदिरा दुकान जसपुर पर विलंब से द्वितीय प्रतिभूति पर देय दण्डक ब्याज

प्रथम एवं द्वितीय **प्रतिभूति जमा राशि**	जमा करने की तिथि	वास्तविक जमा तिथि	विलम्ब दिवस	विलम्ब दण्डक ब्याज
5,00,000	07-06-17	27-12-17	203	66,739
3,00,000	07-06-17	27-12-17	203	40,043
2,50,000	07-06-17	27-12-17	203	33,369
6,00,000	07-06-17	28-12-17	204	80,482
10,18,000	07-06-17	28-12-17	204	1,36,551
4,10,000	30-06-17	28-12-17	181	48,795
7,00,000	30-06-17	29-12-17	182	83,769
6,50,000	30-06-17	29-12-17	182	77,786
8,28,000	30-06-17	29-12-17	182	99,087
योग				6,66,621
जमा विलम्ब दण्डक ब्याज				6,05,496
अवशेष विलम्ब दण्डक ब्याज **(v)**				**61,125**
कुल देय विलम्ब दण्डक ब्याज				**10,19,882**
कुल जमा विलम्ब दण्डक ब्याज				**8,46,433**
कुल योग अवशेष विलम्ब दण्डक ब्याज (i,ii,iii,iv,v)				**1,73,449**

भाग- 2 'ब'

प्रस्तर-4 लक्ष्य के सापेक्ष ` 10.32 करोड़ कम राजस्व प्राप्त होना ।

शासन की अधिसूचना दिनांक 19 मई, 2017 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को निर्धारित करने की दृष्टि से वर्ष 2017-18 को दिनांक 01.06.2017 से 31.03.2018 तक के लिये नियम बनाये गये थे । नियम-1 के अनुसार ऊधम सिंह नगर जिले की दुकानों के व्यवस्थापन पर ` 138 करोड़ का राजस्व निर्धारित किया गया था ।

जिला आबकारी अधिकारी, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जनपद की दुकानों के व्यवस्थापन से 01.06.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि में राजस्व ` 1,27,68,36,573/- माह अप्रैल व मई 2017 में दैनिक आधार पर दुकानों के चलन पर प्राप्त राजस्व ` 10,33,02,844/- की प्राप्ति को जोड़कर 138 करोड़ के लक्ष्य प्राप्ति दर्शायी गयी थी । जबकि 01.06.2017 से 31.03.2018 तक की प्राप्ति ` 127.68 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया था । जबकि कि लक्ष्य से ` 10.32 करोड़ कम प्राप्त हुआ था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्याः 2074/सात लाई0 एस-120/व्यव0-2017-18/सामान्य निर्देश/विज्ञप्ति/देहरादून दिनांक 19 मई, 2017 के बिन्दु संख्या-1 के अनुसार, जनपद में 01.04.2017 से 31.05.2017 तक प्राप्त होने वाले राजस्व को जनपद हेतु राजस्व में से घटाकर जनपद का राजस्व निर्धारित माना जायेगा ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है । क्योंकि उक्त पत्र कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का है जबकि शासन की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं उपलब्ध कराया गया । इस प्रकार, लक्ष्य के सापेक्ष ` 10.32 करोड़ का राजस्व कम प्राप्त हुआ था ।

अतः लक्ष्य के सापेक्ष ` 10.32 करोड़ कम राजस्व प्राप्त होने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
43/2010-11	1	-	
14/2012-13	**-**	**1,2,3,4**	
38/2004-05	**1**	**-**	
07/2002-03	**1**	**-**	
66/2000-01	**1,2**	**1**	
SE/2015-16	**-**	**1**	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - लागू नहीं

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री राजीव सिंह चौहान	जिला आबकारी अधिकारी	29.12.15 से 09.01.18 तक
(ii)	श्री आलोक कुमार शाह	जिला आबकारी अधिकारी	09.01.2018 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र